

संपादकीय श्रम सुधार की पहल

भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने और अगले पांच वर्षों में उसे पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के मकसद से सरकार ने व्यापक श्रम सुधारों का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम सीहितांत्र बनाने का फैसला किया है। ये सीहितांत्र हैं- 1. न्यूनतम वेतन और कार्यगत सुरक्षा, 2. स्वास्थ्य एवं कार्यदण्डा, 3. सामाजिक सुरक्षा तथा 4. औद्योगिक संबंध। बुधवार को केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने स्वास्थ्य और कार्यदण्डाओं से संबंधित बिल 'ऑक्यूपैशनल सेपटी', हेल्प एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2019' के मसौदे को मंजूरी दी दी। यह 13 श्रम कानूनों को मिलाकर बना है। न्यूनतम वेतन से संबंधित सीहिता को एक हफ्ता पहले स्वीकृति दी जा चुकी है।

बाकी दो सीहिताओं को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। जहां तक स्वास्थ्य और कार्यदण्डा से संबंधित बिल का सवाल है तो इससे 40 करोड़ वर्कर्स लाभान्वित होंगे। छोटे कारखानों में कामगारों को अक्सर बिला नियुक्ति पत्र के काम करना पड़ता है। यह रास्ता अब बंद होने वाला है। हर साल श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच जरूरी होती है। नियोक्ताओं के लिए भी प्रक्रिया आसान की गई है। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न को आसान बनाया गया है। इनके लिए उन्हें अभी 10 से 21 तक फार्म भरने पड़ते हैं, लेकिन आगे एक-एक फार्म भरने से काम हो जाएगा। न्यूनतम वेतन से संबंधित सीहिता पर श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार का कहना है कि इसके जरिए देश भर के लगभग 30 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिलेगा।

बिल में 178 रुपये का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। जिन राज्यों में इससे ज्यादा की व्यवस्था है वहां वह जारी रहेगी। वेतन हर महीने की वियत तारीख पर मिलेगा। इस प्रावधान से मजदूरों का शोषण रुकेगा क्योंकि आज भी कुछ राज्यों में दैनिक मजदूरी 50, 60 या 100 रुपये पर अटकी पड़ी है।

हालांकि कानूनों को एकरूप बनाने के फैसलों पर कई संगठनों ने सवाल भी उठाए हैं। नैशनल कैंपेन कमेटी फॉर कॉन्स्ट्रक्शन वर्कर्स का कहना है कि इससे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) एकट 1996 रद्द हो जाएगा, जिससे बीओसीडब्ल्यू बोर्ड बंद हो जाएंगे और लगभग घार करोड़ मजदूरों का पंचीकरण रद्द हो जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लेबर कोड को रेतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है लेकिन औद्योगिक संबंधों से जुड़ी सीहिता पर उसे गहरी आपत्ति है। उसका कहना है कि श्रम संगठनों के पद्धतिकारियों के लिए पात्रता सरकार द्वारा तय किए जाने, हड्डियां करने का अधिकार सीमित करने, कर्मचारियों को एकत्रणा तौर पर निकालने और एप्रेंटिस श्रमिकों को अलग करने जैसे प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकारों में कटौती हुई है। अंततः श्रमिकों की संतुष्टि ही उन्हें उत्पादन में बेहतर योगदान की ओर ले जाएगी, लिहाजा सरकार को सभी सीहिताओं में यथासंभव सुधार करके ही उन्हें कानून की शक्ति देनी चाहिए।

रेवेन्यू ग्रोथ के मोर्चे पर इन्फोसिस ने दी टीसीएस को मात

बंगलुरु (आरएनएस)

इन्फोसिस ने चालू कित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों से सबको चौका दिया। देश की इस प्रतिष्ठित आईटी कंपनी ने अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल की। कंपनी ने राजस्व में यह वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर हासिल की। इस तारे प्रदर्शन से न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर वर्किंग कंडीशन बिल 2019' के मसौदे को मंजूरी दी दी। यह 13 श्रम कानूनों को मिलाकर बना है। न्यूनतम वेतन से संबंधित सीहिता को एक हफ्ता पहले स्वीकृति दी जा चुकी है।

बाकी दो सीहिताओं को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। जहां तक स्वास्थ्य और कार्यदण्डा से संबंधित बिल का सवाल है तो इससे 40 करोड़ वर्कर्स लाभान्वित होंगे। छोटे कारखानों में कामगारों को अक्सर बिला नियुक्ति पत्र के काम करना पड़ता है। यह रास्ता अब बंद होने वाला है। हर साल श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच जरूरी होती है। नियोक्ताओं के लिए भी प्रक्रिया आसान की गई है। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न को आसान बनाया गया है। इनके लिए उन्हें अभी 10 से 21 तक फार्म भरने पड़ते हैं, लेकिन आगे एक-एक फार्म भरने से काम हो जाएगा। न्यूनतम वेतन से संबंधित सीहिता पर श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार का कहना है कि इसके जरिए देश भर के लगभग 30 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिलेगा।

बिल में 178 रुपये का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया गया है। जिन राज्यों में इससे ज्यादा की व्यवस्था है वहां वह जारी रहेगी। वेतन हर महीने की वियत तारीख पर मिलेगा। इस प्रावधान से मजदूरों का शोषण रुकेगा क्योंकि आज भी कुछ राज्यों में दैनिक मजदूरी 50, 60 या 100 रुपये पर अटकी पड़ी है।

हालांकि कानूनों को एकरूप बनाने के फैसलों पर कई संगठनों ने सवाल भी उठाए हैं। नैशनल कैंपेन कमेटी फॉर कॉन्स्ट्रक्शन वर्कर्स का कहना है कि इससे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) एकट 1996 रद्द हो जाएगा, जिससे बीओसीडब्ल्यू बोर्ड बंद हो जाएंगे और लगभग घार करोड़ मजदूरों का पंचीकरण रद्द हो जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी लेबर कोड को रेतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है लेकिन औद्योगिक संबंधों से जुड़ी सीहिता पर उसे गहरी आपत्ति है। उसका कहना है कि श्रम संगठनों के पद्धतिकारियों के लिए पात्रता सरकार द्वारा तय किए जाने, हड्डियां करने का अधिकार सीमित करने, कर्मचारियों को एकत्रणा तौर पर परिवाहन और एप्रेंटिस श्रमिकों को अलग करने जैसे प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकारों में कटौती हुई है। अंततः श्रमिकों की संतुष्टि ही उन्हें उत्पादन में बेहतर योगदान की ओर ले जाएगी, लिहाजा सरकार को सभी सीहिताओं में यथासंभव सुधार करके ही उन्हें कानून की शक्ति देनी चाहिए।

न इं दि ली (आरएनएस)। दोपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख निर्माण टीवीएस के नाम का ऐलान कर दिया।



कांत और अध्यक्ष बेनु श्रीनिवासन ने शुक्रवार को यहां कांत और अध्यक्ष बेनु के पहली वर्ष का मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और चीफ फाइनैशल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्यास ने शुक्रवार को यह घोषणा की। मल्यास ने कहा, अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक ग्रूप का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ नियुक्त करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है।

वह अपने साथ फाइनैशल,

बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव ला रही है। जात हो कि अंशुला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कलेज फॉर वुमन से इकोनॉमिक ऑर्नर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका पोस्टग्रेजुएशन से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है।

कांत और अध्यक्ष बेनु के पहली वर्ष का मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और चीफ फाइनैशल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्यास ने अपने साथ फाइनैशल बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव ला रही है। जात हो कि अंशुला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कलेज फॉर वुमन से इकोनॉमिक ऑर्नर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका पोस्टग्रेजुएशन से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है।

कांत और अध्यक्ष बेनु के पहली वर्ष का मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और चीफ फाइनैशल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्यास ने अपने साथ फाइनैशल बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव ला रही है। जात हो कि अंशुला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कलेज फॉर वुमन से इकोनॉमिक ऑर्नर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका पोस्टग्रेजुएशन से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है।

कांत और अध्यक्ष बेनु के पहली वर्ष का मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और चीफ फाइनैशल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्यास ने अपने साथ फाइनैशल बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव ला रही है। जात हो कि अंशुला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कलेज फॉर वुमन से इकोनॉमिक ऑर्नर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका पोस्टग्रेजुएशन से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है।

कांत और अध्यक्ष बेनु के पहली वर्ष का मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर और चीफ फाइनैशल ऑफिसर (सीएफओ) नियुक्त किया गया है।

वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मल्यास ने अपने साथ फाइनैशल बैंकिंग का 35 वर्ष का अनुभव ला रही है। जात हो कि अंशुला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कलेज फॉर वुमन से इकोनॉमिक ऑर्नर्स में ग्रेजुएशन किया है। उनका पोस्टग्रेजुएशन से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है।